पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 141/2025

1 प्रांजल पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
2. विमला पत्नी रामचन्द्र

जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3 कलावती पत्नी भीमसैन पुत्री रामचन्द्र
4. शायरी पत्नी संजीव पुत्री रामचन्द्र

जाति जाट निवासी गोडिया खेड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 9/6/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील जीतासिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं0 9 एम. जैड डबल्यू के खाता सं0 47/57 व चकनं0 8 एम.जैड डबल्यू के खाता सं0 130/104 में वर्णित रामचन्द्र के नाम की आराजी का वादी को खातेदार का काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 9 एम. जैड डबल्यू के खाता सं0 47/57 व चकनं0 8 एम.जैड डबल्यू के खाता सं0 130/104 में रामचन्द्र का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/6/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।
टिब्बी

Scanned with CamScanner